निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 501) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

सं० एम–4–08/2020–4117/वि०
वित्त विभाग

संकल्प
20 अगस्त 2020

विषय :- **राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन संबंधित GFR, 2017 के नियम–144(xi) के अनुरुप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उपनियम–(xxi) के बाद उपनियम–(xxii) जोड़े जाने के उपरान्त तत्संबंधी भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य सरकार का दिशा–निर्देश निर्गत करने के सम्बन्ध में**

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उपनियम–(xxi) के बाद उपनियम–(xxii) जोड़ा गया है। इसके तहत् इस नियम में उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए राज्य सरकार अपने राज्य के अधीन भारत के किसी भू–सीमावर्त्ती देश/सीमावर्त्ती देश–समूह/अन्य देश/अन्य देश–समूह से संबंधित निविदादाताओं के माध्यम से होने वाले अधिप्राप्ति की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक शर्त्त/प्रतिबंध/बंधेज लगाये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश/दिशा–निर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाना है।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि:–

(i) इस संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग (Public Procurement Division) द्वारा उनके पत्रांक–F.No.-6/18/2019-PPD दिनांक 23.07.2020 अन्तर्गत निर्गत आदेश संख्या–Order (Public Procurement No.-1), Order (Public Procurement No.-2) तथा F.No.-6/18/2019-PPD दिनांक 24.07.2020 अन्तर्गत निर्गत आदेश Order (Public Procurement No.-3) राज्य सरकार के द्वारा यथावत् अंगीकृत किये जायेंगे।

(ii) भारत सरकार के उक्त दिशा–निर्देश में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार से ऐसे सीमावर्त्ती देशों के निबंधित निविदादाता को राज्य अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु राज्य में अलग से निबंधन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों को राज्य अन्तर्गत लागू करने हेतु वित्त विभाग को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

भारत सरकार का उक्त दिशा–निर्देश क्रमशः Appendix-A, Appendix-B, Appendix-C एवं Appendix-D के रुप में इस आदेश के साथ अनुलग्नक के रुप में संलग्न है।

राज्य सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभाग, सभी कार्यालय, सभी स्वायत संस्थायें, सभी बोर्ड, सभी निगम, सभी संस्था, सभी प्राधिकार/प्राधिकरण, सभी सोसाईटी, सभी अधिकरण, राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों एवं राज्य सरकार या उनके लोक उपक्रमों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सभी पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट आदि में लागू रहेगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 501-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in